

**कार्यालय:**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश जखनऊ**

संख्या:- प्राशिपापरिषद सम्बद्धता/2023/12090001

जखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

**:कार्यालय जाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वैधिता वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व में संघटित विद्यार्थी वर्गों के समस्त विद्यार्थियों को अनुमति मिलाने के लिए जाने के अलावा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 300 300 लक्ष्मण बाग पर 2023-24 हेतु संघटित विद्यार्थी वर्गों के समस्त विद्यार्थी शिक्षा 25-07-2023 तक सिंगल 02-08-2023 को पीएफ कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संघटित विद्यार्थी वर्गों के समस्त विद्यार्थी शिक्षा हेतु अनुमति मिलाने के लिए जाप निर्गत के अंतर्गत में संघटित विद्यार्थी वर्गों के लिए जाने के लिए किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सिंगल नये सिंगल के अनुसार में सिंगल संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 300 300 लक्ष्मण बाग पर 2023-24 हेतु संघटित विद्यार्थी वर्गों के अंतर्गत मजलूम एवं नये नई विद्यार्थी वर्गों के लिए हेतु सम्बद्धता मिलाने के लिए जाप:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3016-BHAGWAN SINGH INSTITUTE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0डी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु सत्र

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 319/16-3088/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व में संघटित समस्त संस्थानों की जाप के सिद्ध मान्यता न्यायालय में घोषित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में भारतीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जा रही है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातृक के अनुरूप सत्यता में समस्त सहायक (शुक्ति, आसन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमबाली 1992, विनियमबाली-2000, सेक्टर विनियमबाली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार सर्वव्यापी किया जाना आवश्यक होगा। प्रेष निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु सत्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस के नवीनतम दूरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उज्जैन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उज्जैन तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन द्वारा किये गये विनयों, विनियमों, आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद्, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित खर्चका को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यवाही को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत अधिनियम आरक्षण शिबिरी का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैकलॉट तथा प्राथमिक शिक्षा के यूगण्डन बोर्ड पर संस्था की समस्त दायित्व जैसे संस्था की ऐतिहासिक युक्ति सुविधा, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला धुलक, छात्रावास धुलक आदि का विचारण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण-अभिक्षण हेतु उपयुक्त कालावधि उपलब्ध कक्षा के साथ रेजिगि रोको के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/समाप्त पाठ्यक्रम को पढाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिनियम, इतिहास, फर्जीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ, सैरकाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की भाँव पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्जीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में श्रुति, श्रुतन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एआइओसीटीएई।पी।पी।आई।पी।परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू0सं0- प्राथिच/परिषद् सम्बद्धता/2023  
/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक BHAGWAN SINGH INSTITUTE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव



**संज्ञानाम**

**राजिद प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**अन्तर प्रदेश राजधानी**

संज्ञा- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3637

संज्ञानाम दिनांक: 09/08/2021

**कार्यालय आप**

राजिद भारतीय राजधानी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी कान्ग्रेशन भवन इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संज्ञिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तस्मानीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के त्परांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिती की बैठक संयोजन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संज्ञिक संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिती की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, अन्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्ति शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं इसमें अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं मान : 3016-BHAGWAN SINGH INSTITUTE OF PHARMACY,VILL-AJANARI POST, GRAI,JALAUH-285001

संज्ञा	पाठ्यक्रम का नाम	003016BHO0101010/ पीएसीआई	परिषद द्वारा सत्र
		द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित	2021-22 हेतु
		प्रवेश समता	अनुमोदित प्रवेश समता
		80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था 003016BHO0101010/पीएसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था अन्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, सेमेस्टर विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित विनयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,50,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों की तस्मानी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्री से प्राप्त किया जाएगा।